सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **58/2018** अपील (राजस्व)

1. रामुडी पुत्री श्री वेणा जी भील पत्नी श्री बदा जी भील, निवासी– बलीचा, तहसील गिर्वा, हाल निवासी–706, झाडोल रोड, नाई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

–– अपीलान्ट

बनाम

1. हरीश पिता थावरा मीणा, निवासी गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
2. भेरूलाल पिता श्री देवाजी भील, निवासी–ज्योतिनगर, शोभागपुरा तहसील बड़गांव जिला उदयपुर (राज.)
3. सुन्दर पुत्री श्री वेणा जी भील निवासी–बलीचा हनुमान फलां, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

–– रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 25 निर्णय दिनांक 15.05.1989 तहसीलदार गिर्वा,जिला उदयपुर (राज.) अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री नरेन्द्र चित्तोडा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री चन्द्रशेखर आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3
श्री मनोज पंवार, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–16.09.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलीचा पटवार क्षैत्र गोवर्धनविलास में अपीलान्ट की कृषि भूमि स्थित हैं जिसके हाल आराजी सं. 1495, 1496, 1505 कुल किता 3 रकबा 0.1600 है. जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी होकर

उनकी मृत्यु होने पर विरासत से खोले गये नामान्तरकरण में उनके एक मात्र पुत्र मोहन का ही नाम विरासत में दर्ज किया गया। जबकि वेणा पिता गुमाना के दो पुत्रीया जिसमें अपीलान्ट रामुडी व रेस्पोडेन्ट सं. 3 का नाम दर्ज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय स्वर्गीय वेणा पिता गुमाना कें वारिसानों की सही जांच न कर उनके पुत्र मोहन का ही नाम दर्ज किया पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया। जिससे अपीलीय नामान्तरकरण स्वतः ही अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट यही समझती रही कि उक्त भूमि विरासत से उसके नाम दर्ज हो गई होगी। जब अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने के लिए पटवारी साहब से दिनांक 24.09.18 को सम्पर्क किया तथा जमाबन्दी की नकल देने के लिए कहा तो पटवारी सा. ने कहा की भूमि आपके नाम पर नहीं है। इसलिए आपको राजस्व न्यायालय में नामान्तरकरण की अपील करनी पड़ेगी। जिस पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई हैं जिसे स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं. 25 निर्णय दिनांक 15.05.1989 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीयां ने जब अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से ऋण लेने के लिए पटवारी साहब से दिनांक 24.09.18 को सम्पर्क किया तब इसका ज्ञान हुआ। जिस पर तुरन्त राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवायी। जो दिनांक 27.09.18 प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहें। तामीलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। रेस्पोडेंट संख्या 3 की

ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। जिनके द्वारा अपील अपीलान्ट इकबालिया स्वीकार की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा गोवर्धनविलास में स्थित आराजी सं. 1495, 1496, 1505 किता 3 रकबा 0.1600 है. में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता वेणा पिता गुमाना भील की होकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता वेणा पिता गुमाना भील की मृत्यु होने से खोले गये अपीलीय नामान्तकरण जो विरासत का खोला गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वेणा पिता गुमाना के सही वारिसानों की जांच नहीं कर सीधे ही पुत्र मोहन पिता वेणा के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया गया। जबकि नियमानुसार वेणा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी पुत्र मोहन के अलावा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3 सुंदर का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः अपीलीय नामान्तकरण को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाये।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 3 सुंदर पुत्री वेणा भील भी स्व.वेणा पिता गुमाना भील की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 3 का नाम भी नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण फैसल करते समय स्व.वेणा पिता गुमाना भील के विधिक वारिसानों की सही जांच नहीं कर मात्र वेणा के पुत्र के नाम ही भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर फैसल कर दिया गया, जो न्योयाचित नहीं है। स्व.वेणा पिता गुमाना भील के प्रथम श्रेणी के सभी वैध वारिसानों की नियमानुसार जांच कर सभी वैध वारिसानों के नाम

नामान्तरकरण दर्ज होकर फैसल होना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलीय नामान्तकरण सं. 25 निर्णय दिनांक 15.05.1989 राजस्व ग्राम बलीचा पटवार मण्डल गोवर्धनविलास का निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व.वेणा पिता गुमाना भील के वैध वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर